

न्यायमूर्ति जी. सी.

मितल और एस. एस. सोढ़ी, के समक्ष

गांडू मल धर्म अर्थ

ट्रस्ट—आवेदक,

बनाम

आयकर

आयुक्त, हरियाणा, रोहतक,

-प्रतिवादी.

1982 का आयक आयकर र

संदर्भ संख्या 142 से 144

11 अप्रैल,

1989

आयकर अधिनियम, 1961—धारा 11, 256 (1) निर्धारिती ट्रस्ट, न्यास विलेख में धर्मार्थ वस्तुओं को बता रहा है। 15 वर्षों में ट्रस्ट मनी नाममात्र ब्याज पर न्यासियों (ट्रस्टियों) के पास रहेगी। केवल अल्प राशि 2,002 अनाम स्कूल को दान में दिए गए – ट्रस्ट की आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया – ऐसे ट्रस्ट की आय पर छूट नहीं है।

माना गया कि दावा की गई छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, निर्धारिती को यह दिखाना अनिवार्य था कि वह जिस गतिविधि में शामिल था उसका प्रमुख उद्देश्य कुछ धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना था, न कि लाभ कमाना। यहां, जैसा कि पहले दिखाया गया है, हालांकि न्यास विलेख 1980 में तैयार की गई थी और उसके बाद ट्रस्ट ने इस व्यवसाय का अधिग्रहण किया था, कुछ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च की गई एकमात्र राशि 2002 रुपये का दान था और वह भी किसी अनाम स्कूल को। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि इसके अलावा, निर्धारिती-ट्रस्ट की आय का कोई भी हिस्सा किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। इस प्रकार ट्रस्ट की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट नहीं थी।

पैरा 9

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 256(1) के अंतर्गत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच 'बी', दिल्ली द्वारा, न्यायाधिकरण के समेकित से उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर अपनी राय के लिए चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय को आदेश दिनांक 26 जून 1981 आर.ए. क्रमांक 1324 से 1320 (दिल्ली), /81 आई.टी.ए. में। संख्या 1307 और 1308(दिल्ली)/80 और, 133(दिल्ली)/81, मूल्यांकन वर्ष: 1974-75, 1975-76 और 1977-78:

क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि निर्धारिती ट्रस्ट की आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के तहत छूट नहीं थी ?

आवेदक की ओर से राजिंदर छिबबर, वकील।

प्रतिवादियों की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता और अजय मित्तल, अधिवक्ता।

निर्णय

- (1) निर्धारिती – मेसर्स गंडू मल धरम अर्थ ट्रस्ट एक धर्मार्थ ट्रस्ट होने का दावा करता है और इस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा '11 के तहत छूट का हकदार है।
- (2) रिकॉर्ड से पता चलता है कि निर्धारिती-ट्रस्ट की स्थापना मूल रूप से 1944 में गंडू मल की पत्नी जियानो देवी द्वारा की गई थी। चूंकि न्यास विलेख आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए एक और न्यास विलेख तैयार किया गया और 12 दिसंबर, 1960 को निष्पादित किया गया। श्रीमती। जियानो देवी ने रुपये दान किये. ट्रस्ट को 30,000 रु. ट्रस्ट के उद्देश्य ट्रस्ट में बताए गए हैं) विलेख संक्षेप में निम्नलिखित बताया गया है: -
 - (१) मनुष्यों और जानवरों की मदद के लिए औषधालय, अस्पताल या प्रसूति गृह चलाना और रोगियों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराना;
 - (२) मनुष्यों और जानवरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कुएँ खोदना, पीने के पानी की छबील स्थापित करना, स्नान की व्यवस्था करना और यात्रियों के लिए भोजन और आवास प्रदान करना;
 - (३) पुरुष और महिला छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीब और योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति ऋण और भिक्षा देना;

(8) अनाथों और विधवाओं सहित असहाय और गरीबों को ऋण देना, वाचनालय और पुस्तकालय खोलना और पुस्तकों और समाचार पत्रों की आपूर्ति की व्यवस्था करना; और

(9) मानव जाति के सर्वांगीण कल्याण पर धन खर्च करना, विशेषकर भूकंप, बाढ़ आदि से पीड़ित लोगों के कल्याण पर।

(3) न्यास विलेख में आगे प्रावधान किया गया है कि यह न्यासियों (ट्रस्टियों) का कर्तव्य होगा कि वे न्यास निधि को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी व्यवसाय में निवेश करें। इस खंड के अनुसरण में न्यासियों ने मेसर्स अमृत आइस एंड जनरल मिल्स, रोहतक के नाम से ज्ञात व्यवसाय का अधिग्रहण किया और उसके बाद यह व्यवसाय न्यासियों (ट्रस्टियों) द्वारा चलाया जा रहा है। इस व्यवसाय से ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय के संबंध में अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया था।

(4) अधिकरण का निष्कर्ष है कि ट्रस्ट की आय का कुछ हिस्सा वास्तव में किसी भी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, रुपये की राशि को छोड़कर। दिखाया गया है कि 2,002 रुपये का भुगतान किसी स्कूल को दान के रूप में किया गया था, जिसका नाम उजागर नहीं किया गया था और व्यवसाय प्राप्त करने और उसमें निवेश करने के अलावा, कोई धर्मार्थ उद्देश्य नहीं अपनाया गया था।

(5) इस मामले से निपटने के दौरान, न्यास विलेख के खंड (iii) से (vii) का विज्ञापन करना भी प्रासंगिक होगा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है: -

(iii) श्रीमती जियानो देवी ने रु. का दान दिया वर्तमान में 30,000 जिसे ट्रस्ट की संपत्ति माना जाएगा और वास्तव में इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है;

(iv) ट्रस्ट की नकद राशि कानूनी प्रतिनिधियों एल गांडू माई की हिरासत में रहेगी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और वे 3 आने पी.सी.पी.एम. की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। न्यास निधि में उनके पास मौजूद राशि पर;

(v) राय के बहुमत से न्यासियों का यह कर्तव्य होगा कि वे न्यास निधि का एक हिस्सा किसी व्यवसाय में निवेश करें;

(vi) ट्रस्ट के पास नकद पूंजी खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। राजधानी की अभिरक्षा बनी रहेगी ट्रस्टी जो बहुमत की राय से खर्च करेंगे। ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए खर्च करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार इसके ब्याज या आय की सीमा;

(vii). यदि न्यास निधि की आय किसी विशेष वर्ष में खर्च नहीं की जा सकती है, तो इसे अगले वर्ष उक्त अगले वर्ष की आय के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से खर्च किया जा सकता है। और, यदि ट्रस्टी उचित समझें तो वे अव्ययित आय को ट्रस्ट कैपिटल फंड में जोड़ सकते हैं या इसे अगले वर्ष के लिए आरक्षित कर सकते हैं।

(6) खंड (iv) पर विशेष ध्यान देने योग्य है, जिसके अनुसार न्यासियों को ट्रस्ट राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, न कि समय-समय पर प्रचलित बाजार दर से।

(7) मामले के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया जैसा कि निर्धारिती ने दावा किया था और यही कारण है कि अब निम्नलिखित प्रश्न को इस न्यायालय की राय के लिए भेजा गया है: -

“क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल सही था कि निर्धारिती ट्रस्ट की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा II के तहत छूट नहीं थी?”

(8) संदर्भित प्रश्न के संबंध में राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध एक के अलावा कोई अन्य उत्तर संभव नहीं है।

(9) जैसा कि सर्वविदित है, दावा की गई छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, निर्धारिती को यह दिखाना अनिवार्य था कि जिस गतिविधि में वह शामिल था उसका प्रमुख उद्देश्य कुछ धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करना था, न कि लाभ कमाना। . यहां, जैसा कि पहले दिखाया गया है, हालांकि ट्रस्ट डीड 1960 में तैयार की गई थी और उसके बाद ट्रस्ट ने इस व्यवसाय को हासिल कर लिया था, कुछ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च की गई एकमात्र राशि रुपये का दान था। 2,002 और वह भी किसी अनाम स्कूल को। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि इसके अलावा, निर्धारिती-ट्रस्ट की आय का कोई भी हिस्सा किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था।

(10) इस प्रकार इस पुनरावृत्ति का तदनुसार निपटान किया जाता है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता

है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरुग्राम, हरियाणा